न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

घनश्याम वगै0 बनाम रघुनाथ वगै0

किस्म मुकदमा:— 225 / बून्दी मिसल नं0 2025 / 157

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
28 / 05 / 2025	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 233 / 2024 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा की खसरा संख्या 1696 / 10602 रकबा 1.6187 हैक्टेयर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लम्बे समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांटगण को सुने बिना ही पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.08.2024 को रिवोक करते हुए निरस्त किए जाने का आदेश दिनांक 20.05.2025 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। कानूनन उभयपक्षकारान को सुनकर ही अन्तरिम आदेश दिनांक 14.08.2024 को रिवोक किया जाना उचित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुने बिना ही आदेश दिनांक 14.08.2024 को रिवोक किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। यदि रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर देंगे तथा अपीलांटगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे। अतः अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अन्त में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.05.2025 में पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.08.2024 को रिवोक किए जाने	

5 राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

का आदेश अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 14.08.2024 में वादग्रस्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 14.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2025 को अपास्त किया गया है तथा प्रकरण में आगामी पेशी 03.06.2025 नियत की है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेश पर विधिक प्रकिया के तहत अपना जवाब प्रस्तुत करने हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वर्तमान स्तर पर प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है तथा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.08.2024 को अपास्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 निरस्त किया जाकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.08.2024 बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट एडमिशन स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.08.2024 बहाल रखा जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत, सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा